


Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् अब्दुल गफ्फार उर्फ गुफार बनाम रुकईया किस्म मुकदमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53-88 आरटीएक्ट वाद संख्या 156/2010

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
27.09.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित नहीं। बार-बार रुक-रुककर आवाजे लगाई। आवाजे लगाने के बावजूद पक्षकार/अधिवक्ता उपस्थित नहीं।</p> <p>अतः पत्रावली में कोई पक्षकार/अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली अदम् पैरवी अदम हाजरी खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये जाते हैं।</p> <p>निर्णय आदिनांक 27.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> उपरखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर</p>	

